

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/286
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00278
CICOM/R/2017/00968

दिनांक: 29.09.2017

अपीलकर्ता : श्रीमती शकुन्तला देवी,
ई-3/897, सेक्टर - एच,
एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड,
लखनऊ - 226012.
मो0 - 09838097645.

निर्णय की तारीख: 29.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	10.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.09.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/380/22.09.2017 (166527/20.09.2017)

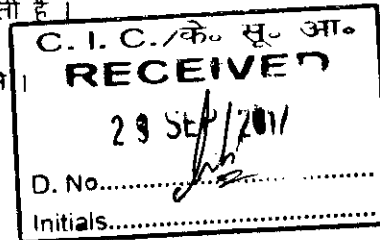
1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 27.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/VS/A/2014/003272/BJ की सुनवाई की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की मांग की थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपने दिनांक 10.08.2017 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई है तथा रिकार्डिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से उक्त द्वितीय अपील की सुनवाई की ऑडियो/वीडियो रिकार्डिंग उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।

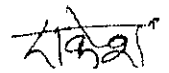
2. अपीलकर्ता के दिनांक 27.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन के संदर्भ में पुनः सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रथम अपील या द्वितीय अपीलों की सुनवाई की ऑडियो/वीडियो रिकार्डिंग का कोई प्रावधान नहीं है। प्रथम अपील आवेदन में श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा प्रदान की गई सूचना का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरी के निजी सहायक द्वारा अपीलकर्ता से उनके मोबाइल सं. - 09838097645 पर संपर्क करने पर अपीलकर्ता ने बताया कि श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति उन्हें नहीं मिली है, अतः श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है। श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

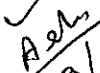
संलग्नक - श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति।




(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


29/09/17